

OFFICE OF THE DIRECTOR
Uttarakhand & West UP
Geo-Spatial Data Centre
17, E.C. Road Dehradun
FAX : 0135- 2656402
E-mail : ukgcd.ddn.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय
उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र०
भू-स्थानिक आँकडा केन्द्र
17, ई.सी. रोड, देहरादून
फैक्स : 0135- 2656402

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक आँकडा केन्द्र, देहरादून का नेमी आदेश
संख्या:प्रशा:-०५/37-जी-९ दिनांक २० जून २०१९

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिवि-११ से पदोन्नत) कर्मचारी को प्रथम एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिविजन-१ (डिविजन-११ से पदोन्नत)) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्रीमती नीलम चौधरी	मानचित्रकार ग्रेड-१	01.01.2017

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.२२ (१) (क) (१) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-3009/1902-एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 13/15.05.2019)

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिवि-११ से पदोन्नत) कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी (डिवि-१ (डिवि-११ से पदोन्नत)) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	श्री दिलबाग सिंह	अधिकारी सर्वेक्षक	01.01.2019

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त अधिकारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त अधिकारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-3014/1902--एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 13/15.05.2019)

3. प्रशासन को मजबूत बनाना:-

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है :-

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. श्री हर्ष पति भट्ट, एम.टी.डी | - | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 2. श्री बलवन्त सिंह, एम.टी.एस (खलासी) | - | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 3. श्री गंगा राम, एम.टी.एस (खलासी) | - | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 4. श्री डोमन राम, एम.टी.एस, (खलासी) | - | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |
| 5. श्री छोटे लाल, एम.टी.एस (सफाई कर्मचारी) | - | 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर |

प्राधिकार:-उत्तराखण्ड निदेशालय का पत्र सं०-सी 1711/18-ए-5 (संग्रह-34) दिनांक 13.06.2019

4. नगदी को संभालना भत्ता (कैश हैंडलिंग एलाउन्स) :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. 14-3-78-एस.एम.पी.-1 दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्सन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का कार्यालय ज्ञापन सं. 04.05.1997-स्थापना (वेतन-11) दिनांक 05.05.1998 के अधीन निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई विवरणानुसार खंजाची का कार्य करने के लिए नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान किया जाता है

क्र सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	कैश हैंडलिंग एलाउन्स की राशि	टिप्पणी
1	श्री दीपक कुमार, सहायक	01.07.17 से 31 03.19 तक	रु. 700/- प्रति माह	

2. अतिरिक्त सन्निहत व्यय वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

5. सम्भाव्य खलासियों को Re-designate करना:- निम्नलिखित सम्भाव्य खलासियों को एम० टी० एस० के नए भर्ती नियम लागू होने के कारण Trainee के पद पर Re-designate किया जाता है :-

1. श्री कमलेश प्रसाद, सम्भाव्य खलासी
2. श्री राजा राम, सम्भाव्य खलासी
3. श्री सुरेन्द्र कुमार, सम्भाव्य खलासी

उपरोक्त सभी ट्रेनी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान वेतन मद से किया जाएगा ।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं०-स्था-3/ 1614/1883 (संग्रह-51) दिनांक 08.03.2019

6. स्थानान्तरण पर आये:- इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारी स्थानान्तरण पर आये :-


क्र सं.	नाम एवं पदनाम	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए	स्थानान्तरण की दिनांक	प्राधिकार
1	श्री गोविन्द नारायण, उप अधीक्षक सर्वेक्षक	निदेशक ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून	07.06.2019 (स्थानान्तरण पर)	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं.स्था.1-1295/1068 (कोर्स - 500) दिनांक 22.02.2019
2	श्री गुरदर्शन सिंह अधिकारी सर्वेक्षक	निदेशक,पंजाब हरियाण एवं चण्डीगढ जी.डी.सी	24.05.2019 (स्थानान्तरण पर)	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं.स्था.1-1544/1466 (अधिकारी -60) दिनांक 06.03.2019

7. स्थानान्तरण पर गये:- इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी /कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये:-

क्र सं.	नाम एवं पदनाम	दिनांक	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुए	प्राधिकार
1.	श्री मंजुल मंगगाई, अधिकारी सर्वेक्षक	31.05.2019	जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी,जम्मू	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं. स्था.। -3115/1466 अधिकारी (संग्रह-60) (पार्ट फाईल) दिनांक 28.05.2019
2.	श्री एस0 के0 रतूडी, अधिकारी सर्वेक्षक	10.06.2019	भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र सं.स्था.1-3116/1466-अधिकारी (संग्रह 60) दि0 28.05.19
3.	श्री हरीश मिस्त्र, अधिकारी सर्वेक्षक			

8. सेवानिवृत्त :-इस केन्द्र से निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ।

- 1.श्री रणधीर सिंह,मानचित्रकार डिविजन-। दिनांक 30.04.2019 (अपराहन)
- 2.श्री मुरलीधर पुरोहित, सर्वेक्षण सहायक दिनांक 31.05.2019 (अपराहन)


 (आर. के. मीणा)
 निदेशक

1. भारत के महासर्वेक्षक की सूचनाएं।

2. अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/पूर्वोत्तर क्षेत्र, छिंदवाड़ा/मध्य क्षेत्र, जबलपुर/उत्तरी क्षेत्र, वज्जिगढ़/दक्षिणीक्षेत्र, बंगाल/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/विहिार क्षेत्र, देहरादून/मद्रा क्षेत्र, हैदराबाद

भारतीय सर्वेक्षण प्रतिक्षण एवं मानचित्रण स्थान (एस.टी.आई.), हैदराबाद।

3. अपर महासर्वेक्षक/निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ जी.डी.सी./जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी./हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./उत्तरांचल प्रदेश जी.डी.सी./हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी./छत्तीसगढ़ जी.डी.सी./राजपुर/गजरात, दमन एवं द्विब जी.डी.सी./गोवा/महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी./पुणे/कर्नाटक जी.डी.सी./क्षेत्र/गोवा/उत्तरांचल प्रदेश जी.डी.सी./राजस्थान जी.डी.सी./जबलपुर/राजस्थान जी.डी.सी./जयपुर/पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./लखनऊ/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी./हैदराबाद/पश्चिमी मद्रा वगैरे/दक्षिणी मद्रा वगैरे, हैदराबाद/भौगोलिक सर्वेक्षण पद्धति और सर्वेक्षण निदेशालय, हैदराबाद/ज्योतिष एवं अन्तरिक्षीय सीमा निदेशालय, दिल्ली/दिल्ली राज्य मन्त्रालय, दिल्ली/अकड़ा कन्वेंशन/राष्ट्रीय जी.डी.सी./देहरादून/मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार कन्वेंशन/उत्तरी मद्रा वगैरे/उत्तरांचल प्रदेश जी.डी.सी./देहरादून/पूर्वी मद्रा वगैरे/कोलकाता/मध्य प्रदेश जी.डी.सी./जबलपुर/राजस्थान जी.डी.सी./जयपुर/पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./लखनऊ/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी./हैदराबाद/पश्चिमी मद्रा वगैरे/दिल्ली/दक्षिणी मद्रा वगैरे, हैदराबाद/भौगोलिक सर्वेक्षण पद्धति और सर्वेक्षण निदेशालय, हैदराबाद/ज्योतिष एवं अन्तर्धान शाखा देहरादून, अंकीय मानचित्रण कन्वेंशन देहरादून।
4. कर्नाट वन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
5. लेखा अर्गनमा की आवश्यक कारवाइ हेतु प्रेषित।
6. 8-बी-2/8-बी-2 अधिकारी/4-एफ-12/गार्ड फाइल।
7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट।